


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ आदेश ॥

संख्या-14/प0-208/16-सा0प्र0- 15740 / श्री धनंजय ठाकुर, पटना-15, दिनांक-24.11.16  
222/11 विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कृष्ण कुमार,  
बि0प्र0से0, को0 क0-377/11, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को  
विभागीय आदेश सं0-15582 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित  
राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा में वीक्षण कार्य हेतु की गयी प्रतिनियुक्ति से मुक्त  
करते हुए उनके स्थान पर श्री सुगंध चतुर्वेदी, बि0प्र0से0, को0 क0-478/11, प्रमुख (वित्त)  
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (मुख्यालय) पटना एवं श्री रशीद अहमद,  
बि0प्र0से0, को0 क0-562/11, उप सचिव, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अपर  
समाहर्ता स्तर में उत्कमित) को राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों की  
विभागीय परीक्षा में वीक्षण कार्य करने हेतु दिनांक 25.11.2016 से 28.11.2016 तक के लिए राजस्व  
पर्षद, बिहार, पटना को उनकी सेवायें उपलब्ध करायी जाती है ।


2. श्री चतुर्वेदी एवं श्री अहमद दिनांक 25.11.2016 से 28.11.2016 तक राजस्व पर्षद के द्वारा  
दोनों पालियों में आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर वीक्षण कार्य करेंगे ।

3. वीक्षण कार्य समाप्त होने पर दोनों पदाधिकारी अपने पदस्थापन वाले पद पर स्वतः  
योगदान करेंगे ।

  
(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/पद0-208/16-सा0प्र0- 15740 पटना, दिनांक- 24.11.16  
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव,  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति  
निगम, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार,  
पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0,  
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव